भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2604

11 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता

2604. श्री मयंककुमार नायक:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री मदन राठौड़:
श्री नरेश बंसल:
डा. दिनेश शर्मा:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्यान्न वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकान संचालकों को प्रदान किए जाने वाले छूट (कमीशन) या लाभ (मार्जिन) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उचित मूल्य के दुकान संचालकों हेतु लाभ बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) एवं (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार, खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उपखंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान मालिक के मार्जिन के रूप में एक राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि उचित दर दुकानों के संचालन की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उपखंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति उचित दर दुकानों पर देगी।

...2/-

उचित दर की दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार केवल खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन और रख-रखाव तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी का पैटर्न भी निर्धारित है।

उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को दिनांक 01.07.2026 की अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल, 2026 से सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 180 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में निर्दिष्ट दरों या राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किए गए व्यय की औसत दर, दोनों में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए सरकार का प्रयास रहा है। इसके लिए एफपीएस डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और एफपीएस में मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से लाभार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा रहा है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एफपीएस के माध्यम से पहल करने का अनुरोध किया है, जैसे कि बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किलो) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री, अन्य वस्तुओं/सामान्य स्टोर की वस्तुओं की बिक्री आदि।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन कौशल प्रदान करने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन और बुनियादी पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है।

अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों में लगभग 325 एफपीएस डीलरों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस आउटलेट जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं जिससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है।
